# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

**पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :– 26/2020 (2020/00196) दर्ज दिनांक 17.07.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

## संशोधित टाईटल

1. भैरूलाल आत्मज सुरजमल बलाई
2. शोभालाल आत्मज सुरजमल बलाई
3. सोहनी पुत्री सुरजमल बलाई

सर्व निवासी मटुनिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

––प्राथीगण

**बनाम**

1. प्रताप आत्मज केरिंग कुमावत
2. जगदीश आत्मज उदा बलाई
3. प्रभु आत्मज उदा बलाई
4. बदामी पत्नि उदा बलाई
5. रामलाल आत्मज उदा बलाई
6. बदामी पत्नि मांगु बलाई
7. बंशीलाल आत्मज जोधा बलाई
8. भेरूलाल आत्मज जोधा बलाई
9. मुली पत्नि जोधा बलाई
10. लादी पुत्री जोध बलाई
11. शंकर आत्मज जगु बलाई
12. सोहन आत्मज जगु बलाई
13. जगन्नाथ आत्मज जोधा कुमावत
14. नंदलाल आत्मज जोधा कुमावत
15. मथरा आत्मज जोधा कुमावत
16. महताब पत्नि जोधा कुमावत
17. सुखलाल आत्मज जोधा कुमावत

सर्व निवासी मटुनिया तह0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

**अधिवक्ता प्रार्थीगण: श्री महेन्द्रसिंह चुण्डावत**
**अधिवक्ता विपक्षीगण(1 लगायत 17): श्री भगवती लाल टेलर**

:: <u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u> ::

दिनांक:–09.10.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:36 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य [illegible] के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर [illegible] ग्राम उल्लाई, पटवार क्षेत्र उल्लाई तह. सहाडा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी एवं कब्जे काश्त की आराजी [illegible] 2583 से 2591 कुल किता 9 कुल रकबा 4.24 भूमि खाता [illegible] 318 पर स्थित है। [illegible] नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है।

1.

खण्ड अधिकारी
गापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता सरकारी रास्ता आराजी संख्या 433 से होकर आराजी संख्या 455 विपक्षी संख्या 13 से 17 के खातेदारी की दक्षिण पाली से होकर जो 12 फीट चौड़ाई में है, जिससे होकर आगे आराजी संख्या 440 विपक्षी संख्या दो से बारह की खातेदारी की आराजी की पुर्वी पाली से होकर उन्हीं की आरजी संख्या 435 की पुर्वी पाली से होकर इन्ही की आराजी संख्या 437 की पुर्वी पाली होकर विपक्षी संख्या एक की आराजी संख्या 438 की पश्चिमी पाली से होकर अपनी ग्राम उल्लाई में स्थित अपनी आराजी संख्या 2586 में होकर अपनी आराजियात में प्रविष्टि कर काश्त लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीगण संज, बैल , बैलगाड़ी , ट्रेक्टर सहित अपने पूर्वजो के समय से 12 फीट चौड़े रास्ते से शांति पूर्वक तरीके से आवागमन करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थीगण की ग्राम उल्लाई की आराजी संख्या 2586 में प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर दो में अंकितानुसार आवागमन सुचारू रूप से चला आ रहा है, जिसे विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को जलील व परेशान करने की नियत से जेसीवी से नीचे खोद कर अस्थायी रूप से थोहर व बाड़ लगाकर अवैध रूप से प्रार्थीगण की जमीन पर कब्जा कर रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया , जो करीब एक माह पूर्व की घटना है। जिससे हम प्रार्थीगण काश्त के समय से फसल काश्त करने से महरूम हो रहे है जबकि उक्त आराजियात में आवागमन करने का प्रार्थीगण के अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है।

यह कि मटुनिया के सरकारी रास्ते की आराजी संख्या 433 से प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजी संख्या 455, 440, 435, 437, 438 से होकर अपनी आराजी ग्राम उल्लाई की सीमा में 2586 में संज , बैल ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सहित आवागमन किनारे – किनारे 12 फीट चौड़े रास्ते से अपने पूर्वजो के समय से करते चले आ रहे है। जिसे आराजी संख्या 455 के रास्ते की थोहर, बाड़ व पत्थर डाल कर जेसीवी से नीव खोद कर डोल डाल कर अस्थाई रूप से कब्जा कर बंद कर दिया, जिससे हम काश्त लाभ नहीं ले पा रहे है। जिससे उक्त विद्यमान 12 फिट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज कराया जाना आवश्यक हो गया है। रास्ते के रूप में जाने वाली भूमि की प्रतिफल की राशि प्रार्थीगण जमा करावे को तैयार है।

यह है कि हम प्रार्थीगण की आराजी तक स्वतंत्र आवागमन हेतु चाहिये, जिसकी हम प्रार्थीगण को नितान्त आवश्यकता भी है। क्योंकि हम प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का ओर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थीगण ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मटुनिया की सरकारी रास्ता की आराजी संख्या 433 से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 455 की दक्षिणी पाली के किनारे 12 फीट चौड़े रास्ते से जिसे थोहर , बाड़ व पत्थरों से वंद कर दिया व जेसीवी से रास्ते की जमीन पर नहर खोद कर डोल डाल दिया जिसे खुलवाते हुए आगे आराजी संख्या 440 विपक्षी संख्या दो से बारह की खातेदारी की आराजी की पुर्वी पाली से होकर आगे आराजी संख्या 437 की पु[illegible] 438 की पश्चिमी पाली पर रास्ता बंद कर दिया जिस अतिक्रमण [illegible] प्रार्थीगण की आराजीयात ग्राम उल्लाई की सीमा में [illegible] तक पुर्वानुसार 12 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज करने का आदेश विपक्षी संख्या 18 के नाम पर प्रदान कराया जावें व उक्त रास्ते की भूमि की प्रतिफल की राशि तय करा विपक्षीगण को दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:36 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 17 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 11.08.2020 को एक प्रार्थना पत्र आदेश–6 नियम – 17 का पेश कर निवेदन किया कि टाईप की त्रिटी से विपक्षी संख्या 16 का नाम मेहताव की वजाए वदाम अंकित हो गया जिससे शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया । उक्त प्रा0 पत्र की प्रति विपक्षीगण के अधिवक्ता को दिलवाई गई विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा 200/– की कोस्ट पर स्वीकार हेतु निवेदन किया । जिससे प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के अधिवक्ता को 200/– की कोस्ट दिलवाई जाकर स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 17 के अधिवक्ता द्वारा जवाव पेश कर प्रार्थना पत्र की प्रार्थीगण की प्रार्थना संख्या 1 लगायत 7 को अस्वीकार किया एवं कलम संख्या 8 को कानुनी बताया तथा मजीद कथन पेश किया कि प्रार्थीगण की ग्राम उल्लाई की आराजी संख्या 2583 से 2591 में प्रवेश सरकारी रास्ता आराजी संख्या 433 से होकर आगे प्रार्थीगण स्वयं एवं विपक्षी संख्या दो लगायत 12 की सामलाती आराजी संख्या 422 किस्म गै0मु0 रास्ता की पाली पर होकर करते है। निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र असत्य एवं मनगढंत तथ्यों पर होने से प्रार्थीगण को रास्ते की कोई विधिक आवश्यकता नहीं होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार उपस्थित। तथा प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 11.08.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

**मौका पर्चा अनुसारः–**

यह कि ग्राम उललाई के आराजी संख्या 2583 रकबा 0.27 हे0, आराजी नं0 2584 रकवा 0.26 हे0, आराजी नं0 2585 रकबा 0.27 हे0, आराजी नं0 2586 रकवा 0.37 हे0 भूमि प्रार्थीगण भैरूलाल, शोभालाल, सोहनी पिता सुरजमल बलाई निवासी मटुनिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है।

यह कि उक्त आराजीयात पर जाने हेतु पूर्व मे रास्ता ग्राम मटुनिया की आराजी नं0 455, 440, 435, 437 पर बना हुआ था। उक्त रास्ता विपक्षी खातेदारो के नाम दर्ज होकर वर्तमान में बंद पड़ा है।

यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा बिलानाम रास्ता आराजी नं0 433 व 422 के दक्षिण दिशा में होकर न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी नं0 421, 420 से होकर आया जा सकता है। जिसका रकबा आराजी नं0 421 में से 0.0050 हे0, तथा आराजी नं0 420 रकबा 0.12 हे0 किस्म नहरी तृतीय में से 0.0140 हे0 कुल 0.0190 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है।

यह कि वर्तमान में बिलानाम रास्ता आराजी नं0 433 व 422 से होकर सह खातेदारी के कुएं के आराजी नं0 419 रकबा 0.05 हे0 भूमि की छुट से आवागमन किया जा रहा है जिसमें वादीगणों का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है।

यह कि रास्ते हेतु आराजी नं0 421 रकबा 0.12 हे0 में से 0.0050 हे0 व आराजी नं0 420 रकबा 0.12 हे0 में से 0.0140 हे0 अथवा कुल 0.01[illegible] (190 वर्ग मीटर) भूमि आती है। जो सिंचित होकर आबादी व पक्की सड़क से 1 कि0मी0 से [illegible] दूरी पर स्थित है जिसकी डी0एल0सी0 दर 2,66, 624/– रूपये प्रति हे0 निर्धारित है [illegible] अनुसार प्रस्तावित 0.0190 हे0 भूमि की मालियत 5066/– होती है [illegible]0132/– रूपये होती है।

यह कि वर्तमान रास्ता व बंद किये गये रास्ते व [illegible]दारी भूमि को राजस्व नक्शे में पृथक्–पृथक् दर्शाया गया हैं

यह कि मौके पर अन्य कोई न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:36 IST
Reason: SelfAttested



खण्ड अधिकारी
...पुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अधिवक्ता व पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया ।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण व पेरोकार सरकार द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा चाही गई रिलिफ अनुसार रास्ता दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है । तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर की मौका रिपोर्ट अनुसार यह कि मौके पर विवादित रास्ते के अलावा बिलानाम रास्ता आराजी नं0 433 व 422 के दक्षिण दिशा में होकर न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी नं0 421, 420 से होकर आया जा सकता है। जिसका रकबा आराजी नं0 421 रकबा 0.12 हे0 में से 0.0050 हे0 व आराजी नं0 420 रकबा 0.12 हे0 किस्म नहरी तृतीय में से 0.0140 हे0 कुल 0.0190 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। दिया जाना उचित प्रतित होता है। मौका स्थिति अनुसार उक्त रास्ते के अलावा ओर कोई अन्य न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। रास्ते हेतु 433 व 422 के दक्षिण दिशा में होकर उक्त आराजी 421, 420 में से 12 फीट चौड़ा रास्ता यानि 0.0190 हे0 भूमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम उल्लाई प0ह0 उल्लाई की आराजी संख्या 2583 से 2591 में आने जाने के लिऐ मौके पर विवादित रास्ते के अलावा बिलानाम रास्ता आराजी नं0 433 व 422 के दक्षिण दिशा में होकर न्यूनतम दूरी का रास्ता आराजी नं0 421, 420 से होकर आया जा सकता है। जिसका रकबा आराजी नं0 421 रकबा 0.12 हे0 में से 0.0050 हे0 व आराजी नं0 420 रकबा 0.12 हे0 किस्म नहरी तृतीय में से 0.0140 हे0 कुल 0.0190 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। 12 फीट चौड़ा रास्ता यानी 0.0190हे0 भूमि रास्ता हेतु उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान सिंचित डी0एल0सी0दर 2,66624/– है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार बनने वाली भूमि की डी0एल0सी0दर के अनुसार मालीयत 5066/–होती है। इसकी दुगुनी राशि 10132/–प्रार्थीगण विपक्षीगण खातेदार न. 1 लगायत 17 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.0190 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थीगण से उक्तानुसार राशि 10132/– प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण नं0 1 लगायत 17 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम उल्लाई प0ह0 उल्लाई की आराजी संख्या 2583 से 2591 में आने जाने के लिऐ विपक्षीगण की ग्राम मटुनिया की आराजी संख्या आराजी नं0 421 रकबा 0.12 हे0 में से 0.0050 हे0 व आराजी नं0 420 रकबा 0.12 हे0 किस्म नहरी तृतीय में से 0.0140 हे0 कुल 0.0190 हे0 भूमि आती है। अर्थात् रास्ते हेतु 12 [illegible] रास्ता यानी 0.0190हे0 भूमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें [illegible] जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कायम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:36 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा



Scanned with CamScanner